

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4978/2025

वीरेंद्र कुमार यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: क्षमा सिंह, यशवंत सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

- पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
- वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें चकबंदी अधिकारी सदर-I आजमगढ़ (प्रत्यर्थी संख्या 2) को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम हरिहरपुर, पोस्ट आजमगढ़, परगना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के संबंध में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 42 ए के तहत लंबित वाद संख्या 35 (लालजी बनाम प्रह्लाद) को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर तय करें।"

- यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त वाद आज तक तय नहीं किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि विपक्षी पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
- इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः, यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों (Merits) पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से शीघ्रता से तय करें। यह प्रक्रिया अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर पूर्ण की जाए।
- उपरोक्त निर्देशों के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

22 जनवरी, 2026

वी.आर.